

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS
राजस्व मूल वाद संख्या:- 102/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.गेमराराम पुत्र श्री चागला राम जाति मेघवाल उम्र 20 वर्ष निवासी अब्दुल रहीम का ताला बाडमेर हाल निवासी ग्राम हीरखेडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01.अशोक पुत्र रावतराम जाति मेघवाल और दावे मे अकित 2 से 13 प्रतिवादीगण समस्त वगैरा । 02.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति -

- 01.वादी की और से अधिवक्ता सचिन दवे उपस्थित
- 02.प्रतिवादीगण सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं।

आदेश

दिनांक 23/9/2024

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिक्री दिनांक 09.09.2024 को किया गया एव तहसीलदार लूणी को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार लूणी के माफिक प्राथमिक डिक्री पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम हीरखेडा के खसरा नम्बर 123/1 रकबा 1.3678 हैक्टर व खसरा नम्बर 123/4 रकबा 1.3678 हैक्टर भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार लूणी द्वारा प्रेषित बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 17.09.2024 मय मौका फर्द दिनांक 12.09.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है-

क.स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	01.गेमराराम पुत्र चागलाराम हिस्सा पूर्ण जाति मेघवाल सा अब्दुल रहीम का तला बाडमेर खातेदार	123/1	0.4478	0.69	बारानी द्वितीय
		01	0.4478	0.69	बारानी द्वितीय
B	01.कलाराम पुत्र हुक्माराम मेघवाल हिस्सा 1/3 जाति मेघवाल सा बाडिया का बास सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर खातेदार 02.गेमराराम पुत्र चागलाराम हिस्सा 2/3 जाति मेघवाल सा अब्दुल रहीम का तला बाडमेर खातेदार	123/4	0.4856	0.75	बारानी द्वितीय
		01	0.4856	0.76	बारानी द्वितीय
C	01.करनाराम पुत्र शिवाराम हिस्सा 20/2273 जाति मेघवाल सा देह खातेदार 02.ढलकी पत्नी शिवाराम हिस्सा 564/2273 जाति मेघवाल सा देह खातेदार 03.बबूलराम पुत्र शिवाराम हिस्सा 563/2273 जाति मेघवाल सा देह खातेदार 04.मन्जू पुत्री शिवाराम हिस्सा 563/2273 जाति मेघवाल सा देह खातेदार 05.मिमली पुत्री शिवाराम हिस्सा 563/2273 जाति मेघवाल सा देह खातेदार	123/1	0.9200	1.42	बारानी द्वितीय
		01	0.9200	1.42	बारानी द्वितीय



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

D	01.अशोक पुत्र रावतराम हिस्सा 28285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार	123/4	0.8822	1.36	बारानी द्वितीय
	02.देवाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 829/21800 जाति मेघवाल सा देह खातेदार	01	0.8822	1.36	बारानी द्वितीय
03.प्रेमाराम पुत्र रावतराम हिस्सा 48285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार					
04.पुष्पादेवी पत्नि रावतराम हिस्सा 28285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार					
05.विक्रम पुत्र रावतराम हिस्सा 28285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार					
06.विमला देवी पुत्री रावतराम हिस्सा 48285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार					
07.सुशीला पुत्री रावतराम हिस्सा 28285/218000 जाति मेघवाल सा देह खातेदार					

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकारण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 12.09.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनांक 12.09.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार लूणी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।



(सहायक कलक्टर) सहायक कलक्टर एवं उपाखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्दाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 102/2024

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. गोमराराम पुत्र श्री चागला राम जाति मेधवाल उम्र 20 वर्ष निवासी अब्दुल रहीम का ताला बाडमेर हाल निवासी ग्राम हीरखेडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01. अशोक पुत्र रावतराम जाति मेधवाल और दावे में अकित 2 से 13 प्रतिवादीगण समस्त वगैरा । 02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 102/2024 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुददर्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी का वाद बटवाडा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 12.09.2024 अनुसार स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अलग अलग दर्ज किये जाकर राजस्व रेकार्ड में इन्दाज किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय
सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.....
.....को अदा करें।

बसील मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23/9/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान	रुआम्प		स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी